

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रभुदयाल वगैरे बनाम जगदीश वगैरे

किरण मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर - 26/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जत	न्यायालय की प्रतिलिपि हुकम की मजबूत की जाये
------------	---------------------------------------	---

07.07.2023

वकील डिक्रीदार श्री कमल कुमार शर्मा एडो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 02.08.2023 को पेश हो।

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

21/4/2023
1-7-23

08.05.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 1500 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज करी जाकर फेराल की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

ऑनलाइन किया गया।
कार्रवाई की पालना
ना.सं. 1500
दि. 16.8.23
द्वारा की गयी।

